

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

—00—

रायपुर, दिनांक: 23/04/2012

क्रमांक एफ 10-7/2012/16: राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु भूमि धारण करने की सीमा, निम्नानुसार निर्धारित करता है:-

“2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक अथवा खेतीहर मजदूर को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत असंगठित कर्मकार माना जावेगा”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,
रायपुर, दिनांक: 23/04/2012

पृ0क्रमांक एफ 10-7/2012/16,
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0),
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0),
3. श्रमायुक्त, रायपुर, छ0ग0,
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर, (छ0ग0),
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर, छ0ग0,
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी छ0ग0
8. उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..... छ0ग0
9. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,